



2026:AHC:53974

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
रिट - सी सं. - 7282 वर्ष 2026

राम प्यारे मौर्य

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... प्रतिवादी(यों)

याचिकाकर्ता(ओं) की ओर से अधिवक्ता : मनीष कुमार, संजीव यादव
प्रतिवादी(यों) की ओर से अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान रिट याचिका अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ प्रस्तुत की गई है—

“(I) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी सं. 2, जिलाधिकारी, जनपद आजमगढ़ को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता के दिनांक 14.01.2026 के प्रार्थना-पत्र का, जो अभी तक लंबित है, निस्तारण करें।”

2. अभिलेख के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता वस्तुतः निजी व्यक्ति, अर्थात् श्याम सुंदर मौर्य, के विरुद्ध राहत चाहता है, जो कि रिट अधिकारिता के अंतर्गत प्रदान नहीं की जा सकती। इस संबंध में विधि सुव्यवस्थित है कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती तथा इसके लिए उपयुक्त उपाय सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध है।

3. उपर्युक्त परिस्थितियों में, वर्तमान याचिका को इस स्वतंत्रता के साथ निरस्त किया जाता है कि यदि याची को उचित प्रतीत हो तो वह सामान्य विधि के अंतर्गत उपलब्ध उपायों का सहारा ले सकता है।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

16 मार्च, 2026

सुषमा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।